



सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीछवाल, बीकानेर द्वारा संस्थान में विकसित सब्जी किस्मों के बीजों के विक्रय हेतु बीज मांग प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बीज प्राप्त करने के लिए इच्छुक कृषक, आधार कार्ड एवं जमाबंदी की छायाप्रति लेकर 09 फरवरी (सोमवार) से 11 फरवरी (बुधवार) तक (प्रातः 09:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक) के बीच संस्थान में उपस्थिति होकर अपना टोकन प्राप्त कर ले। बीजों का विक्रय उक्त मांग प्रपत्र एवं टोकन पर के आधार पर किया जायेगा।

Note:- नए किसानों को बीज वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी संस्थान की वेबसाइट (www.ciah.nic.in) पर उपलब्ध है।

बीज मांग पत्र

दिनांक:

नाम:

कूपन कोड संख्या (संस्थान द्वारा दिया जाएगा):

पिता/पति का नाम:

पता:

तहसील: जिला: मोबाइल नंबर:

आधार कार्ड नंबर:

आधार कार्ड की संलग्न प्रति: हाँ () नहीं ()

जमाबंदी की संलग्न प्रति: हाँ () नहीं ()

फसल

आवश्यकता (चाहिए ✓ / नहीं चाहिए ✗ का निशान लगाएँ)

क्रम	फसल का नाम	पैकेट आकार	मूल्य (₹)	चयन
1	काचरी (Kachri Melon)	100 ग्राम	250	<input type="checkbox"/>
2	काकड़िया (Snap Melon)	100 ग्राम	250	<input type="checkbox"/>
3	ग्वारफली (Cluster Bean)	1 किग्रा	200	<input type="checkbox"/>
4	लौकी (Bottle Gourd)	50 ग्राम	100	<input type="checkbox"/>
5	पालक (Thar Hariparna)	100 ग्राम	40	<input type="checkbox"/>
6	चिकनी तोरई (Sponge Gourd)	50 ग्राम	100	<input type="checkbox"/>
7	बैंगन (Brinjal)	40 ग्राम	100	<input type="checkbox"/>
8	चंवला/लोबिया (Cowpea)	100 ग्राम	20	<input type="checkbox"/>
9	धारदार तोरई (Ridge Gourd)	100 ग्राम	250	<input type="checkbox"/>
10	तरबूज/तरकड़ी (Long Melon)	100 ग्राम	250	<input type="checkbox"/>

कुल राशि: ₹

नियम एवं शर्तें

- बीज प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड एवं जमाबंदी की फोटोकॉपी लेकर संस्थान में 9 फरवरी से 11 फरवरी (सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के बीच उपस्थित होकर ये बीज मांग भरवाकर कर जमा कर टोकन प्राप्त कर ले। मांग पत्र आवेदक की उपस्थिति में संस्थान में ही भरा जायेगा। बिना दस्तावेज (आधार कार्ड एवं जमाबंदी) के टोकन नहीं दिया जाएगा।
- आवेदन जमा करने पर टोकन के साथ संस्थान द्वारा प्राप्ति रसीद दी जाएगी जिसमें किन फसलों के बीज की मांग की गई है, अंकित होगा, उसे सुरक्षित रखें। बीज वितरण के दिन यह रसीद साथ लाना अनिवार्य होगा। वितरण तिथि रसीद पर अंकित की जाएगी तथा संस्थान की वेबसाइट www.ciah.nic.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- जिस नाम से आवेदन किया जाएगा, वही व्यक्ति स्वयं उपस्थित रहेगा। एक व्यक्ति को (ग्वारफली को छोड़कर) अधिकतम एक ही सब्जी का एक पैकेट दिया जाएगा।
- यह व्यवस्था पूर्व अनुभवों के आधार पर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षित वितरण हेतु लागू की गई है। सभी से सहयोग अपेक्षित है।

प्राप्ति रसीद

(संस्थान द्वारा भरी जाएगी)

नाम:

कूपन कोड संख्या:

बीज वितरण दिनांक:

हस्ताक्षर एवं मुहर: